

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 ( 116 )/एम.ई/ग्रुप-1/1991

जयपुर, दिनांक: 29/5/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, यूरोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। निम्नांकित चिकित्सक पूर्व से नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः इनके वेतन भत्ते वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय होंगे।

| क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम व पता  | मेरिट संख्या | जन्म तिथि  | वर्ग | पदस्थापन स्थान                 |
|---------|--|--------------|------------|------|--------------------------------|
| 1.      | डॉ० संजीव जायसवाल पुत्र श्री टीकम चन्द, 2/3, हीराबाग फ्लेट्स, जारायण सर्किल के पास, जयपुर। | एम-03        | 05.09.1974 | GE   | एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर। |

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से  
  
( भगवत सिंह )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7( 26 ) भर्ती / गोपनीयता / 2014-15 / 14 दिनांक 13.04.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

  
( महेश व्यास )  
सहायक शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: प. 1 ( 116 ) / एम.ई / ग्रुप-1 / 1991

जयपुर, दिनांक: 29/5/17

**आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, यूरोलॉजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ. 14( 1 ) एफडी / रूल्स / 2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

| क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम व पता   | मेरिट संख्या | जन्म तिथि  | वर्ग | पदस्थापन स्थान                 |
|---------|---|--------------|------------|------|--------------------------------|
| 1.      | डॉ० प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, 46,47 विनोबा विहार त्रिमुर्ति अपार्टमेंट के पास, मालवीय नगर, जयपुर 302017 | एम-1         | 20.12.1980 | GEN  | एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर। |
| 2.      | डॉ० गोविन्द शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा, ए-212, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा, बाईपास, जयपुर-302018                                 | एम-4         | 01.9.1977  | GEN  | मेडिकल कॉलेज, जोधपुर           |
| 3.      | डॉ० जय प्रकाश पुत्र श्री रामरतन, पता बोरिंद खुर्द गांव, पो0 दुग्सताऊ, वाया जायल, जिला नागौर-341023                                | एम-6         | 31.07.1982 | BC   | मेडिकल कॉलेज, बीकानेर          |


उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से  
  
( भगवत सिंह )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7( 26 ) भर्ती / गोपनीयता / 2014-15 / 14 दिनांक 13.04.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

  
( महेश व्यास )  
सहायक शासन सचिव